



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: rlsaip@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक : ५४

दिनांक: ३०/०९/२०२०

कार्यालय आदेश

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति तथा पोक्सो न्यायालय हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 187 दिनांक 01.04.2021, आदेश क्रमांक 22 दिनांक 12.01.2022 तथा आदेश क्रमांक 256 दिनांक 13.05.2022 द्वारा विधि से संघर्षरत/देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद/पीड़ित बालकों के लिए न्यायमित्र नियुक्त किये गये थे, जिनकी कार्यावधि वर्तमान में अधिवक्तागण के नवीन पैनल के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के चलते, निर्देशानुसार, दिनांक 31.10.2022 या नवीन पैनल गठन होने, जो भी पहले हो, तक बढ़ाई जाती है।

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

क्रमांक:- एफ-2(38)/रालसा/पै.अधि./DS-I/ ९५ ९८२ - ९६० ३२ दिनांक:- ३०-०९-२०२२

प्रतिलिपि निम्न कों सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. रजिस्ट्रार कम प्रिसिपल सक्रेटरी, माननीय मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं मुख्य-संरक्षक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निदेशक, संयुक्त सचिव, विशिष्ट सचिव, (मिडियेशन एवं आर्बिट्रेशन), उप सचिव प्रथम/उप सचिव द्वितीय/उप सचिव (ए.पी. एण्ड ए.डी.आर.), राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
5. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
6. सचिव, संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान को आदेश की प्रतिलिपि संलग्न कर निवेदन है कि आदेश की प्रति विशेष न्यायालय (POCSO Cases) एवं अधिवक्तागण को उपलब्ध करावें।
7. प्रिसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, समस्त राजस्थान।
8. निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
9. अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, समस्त राजस्थान।
10. नोडल अधिकारी, वेबसाइट, रालसा।
11. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
12. आदेश/रक्षित/संबंधित पत्रावली।

उप सचिव-प्रथम
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक : ५१९

दिनांक: ३०/७/२०२२

कार्यालय आदेश

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति हेतु पैनल अधिवक्तागण के पैनल का पुर्नगठन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 186 दिनांक 01.04.2021 द्वारा किया गया था, जिसकी कार्यवाधि वर्तमान में अधिवक्तागण के नवीन पैनल के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के चलते, निर्देशानुसार, दिनांक 31.10.2022 या नवीन पैनल गठन होने, जो भी पहले हो, तक बढ़ाई जाती है।

सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

क्रमांक:— एफ—2(38)/रालसा/पै.अधि./DS-I/ ९६०३३-९६०८३ दिनांक:— ३०/७/२०२२

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. रजिस्ट्रार कम प्रिसिपल सक्रेटरी, माननीय मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं मुख्य—संरक्षक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निदेशक, संयुक्त सचिव, विशिष्ट सचिव, (मिडियेशन एवं आर्बिट्रेशन), उप सचिव प्रथम/उप सचिव द्वितीय/उप सचिव (ए.पी. एण्ड ए.डी.आर.), राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
5. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
6. सचिव, संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान को आदेश की प्रतिलिपि संलग्न कर निवेदन है कि आदेश की प्रति अधिवक्तागण को उपलब्ध करावें।
7. नोडल अधिकारी, वेबसाइट, रालसा।
8. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
9. आदेश/रक्षित/संबंधित पत्रावली।

ज्यादा सचिव—प्रथम
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर